

ग्राम पंचायत-

जलपट पंचायत-कमंडोल

प्रारूप क्रमांक-10

(नियम 13 देखिए)

अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 अधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री के निवेदन पर वर्ष (वर्षों)
स्थानीय क्षेत्र तहसील
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, राज्य छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख की तलाशी ली
गई और पाया गया कि
पुत्र/पत्नि/पुत्री के जन्म/मृत्यु संबंधी घटना रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

दिनांक-

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

विलम्बित जन्म/मृत्यु का पंजीयन हेतु शपथ पत्र

(जन्म-मृत्यु रजि.अधि. 1969 के धारा 13(2)/13(3) एवं छ.ग. राजपत्र अधिसूचना
कं एफ 4-4/2011/23, वि.यो., दिनांक 16.9.2014 के परिप्रेष्य में)

—00—

मैं.....पिता/पति....., उम्र..... वर्ष निवासी,

पो.आ.....तह.....जिला.....राज्य....., शपथपूर्वक

निम्न कथन करता/करती हूँ :-

1. यह कि (शिशु/मृतक का नाम)पिता/पति
.....का जन्म/मृत्यु दिनांक को स्थान ग्राम पंचायत/नगर.....
.....तह.....जिला.....राज्य में हुआ/हुई है।
2. यह कि चूंकि मैंने अज्ञानतावश अभी तक जन्म/मृत्यु का पंजीयन दर्ज नहीं करावाया/करवाई है। मुझे वर्तमान में उक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिस संबंध में सभी नियम/शर्तें मुझे मान्य हैं।
3. यह कि उक्त घटना का पंजीयन किसी भी अन्य स्थान/संस्था से नहीं कराया गया है, और न ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।
4. यह कि यह शपथ पत्र मेरे (आवेदक के साथ रिस्ता).....का जन्म/मृत्यु का विधिवत पंजीयन दर्ज कर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हैं।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं उक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र की कंडिका 1 से 4 तक में उल्लेखित कथन सही एवं सत्य हैं। जांच पश्चात् यदि उक्त कथन में असत्यता पाई गई तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। साथ ही शासन द्वारा दिए जाने वाले दण्ड भी मुझे मान्य होंगे।

स्थान-

दिनांक-.....

सत्यापनकर्ता

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2)/13(2) के अधीन जन्म/मृत्यु की घटना के विलम्बित पंजीयन, किए जाने के उद्देश्य से उक्त शपथ पत्र प्रदाय की जा रही है।

प्रमाणित करने वाले

अधिकारी का नाम व मोहर सहित

आमनवादी कार्यकर्ता/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/प्रमाणित करने वाले

**कार्यालय अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-कसडोल**

क्रमांक /
प्रति,

/जन्म-मृत्यु पंजीयन / 2017

कसडोल, दिनांक-.....

रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

ग्राम पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी

ग्राम पंचायत

विषय :- धारा 13 (2) के अंतर्गत लंबित जन्म प्रकरण पर अनुमति बाबत।

संदर्भ :-

!!o!!

आवेदकपिता श्री निवासी

ग्राम.....पोस्ट ऑफिस.....तहसील कसडोल

जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा राज्य छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (2) दिए गए प्रावधान के अंतर्गत नियमानुसार पंजीयन करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र शुल्क विभागीय शीर्ष में जमा कराकर प्रकरण पंजीकृत करें।

01. जन्म/मृतक का नाम -
02. लिंग-पुरुष/महिला -
03. पिता का नाम -
04. पति/पत्नि का नाम -
05. माता का नाम -
06. जन्म/मृत्यु स्थान का नाम -
07. जन्म/मृत्यु का दिनांक -
08. पता (संलग्न करें) -

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत-कसडोल

कार्यालय तहसीलदार / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, तहसील

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

क्रमांक /

/2016/

दिनांक

/

/2016

प्रति,

1. रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका निगम,

2. रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

ग्राम पंचायत सचिव / पंचायत कर्मी

ग्राम पंचायत

विषय:- धारा 13(3) के अन्तर्गत लंबित जन्म-मृत्यु प्रकरण पर अनुमति बाबत।

संदर्भ:- आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक

—000—

आवेदक श्री / श्रीमती, पिता / पति श्री

निवासा ग्राम, तहसील, जिला, राज्य, द्वारा

प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(12) में दिए गए प्रावधान के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीयन करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पंजीयन एवं प्रमाण पत्र शुल्क विभागीय शीर्ष में जमा कराकर प्रकरण पंजीकृत करें।

1. जन्म / मृतक का नाम
2. लिंग-पुरुष / महिला
3. पिता का नाम
4. पति / पत्नी का नाम
5. पिता का नाम
6. जन्म / मृत्यु का स्थान
7. जन्म / मृत्यु का दिनांक
8. प्रमाण (संलग्न करें)

तहसीलदार / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

तहसील